N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT | P.S. (थाना): C.P.S Jaipur | Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0199 | Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 06/08/2025 16:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन | Date From (दिनांक से): 21/07/2025 | Date To (दिनांक तक): 04/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर | Time From (समय से): 15:00 बजे | Time To (समय तक): 15:25 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/08/2025 | Time (समय): 14:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 | Date & Time (दिनांक एवं समय) 06/08/2025 16:40:35 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 3.5 किमी | Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): MARWARA TENT HOUSE, BADA BAZAR, JHALAWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MADHUSUDAN VERMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): MANGILAL VERMA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1975 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MEWARA SADAN, PANCHMUKHI BALAJI KE PASS, JHALAWAR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MEWARA SADAN, PANCHMUKHI BALAJI KE PASS, JHALAWAR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AKASH KALOSIYA		पिता:SURESH KUMAR KALOSIYA	1. KANISHTH SAHAYAK,NAGAR PARISHAD,JHALAWAR,JHALAWAR,RAJASTHAN,INDIA
2	AJAY KUMAR		पिता:ASHOK KUMAR	1. MARWARA TENT HOUSE,BADA BAZAR,JHALAWAR,JHALAWAR
3	SANJAY SHUKLA		पिता:DEENANAND	1. CHAIRMAN,NAGAR PARISHAD JHALAWAR,JHALAWAR,RAJAS

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	30000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.2025 समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा पुत्र श्री मांगी लाल वर्मा जाति कलाल उम्र 50 वर्ष निवासी मेवाड़ा सदन पंचमुखी बालाजी के पास झालावाड़ (राज0) मो0नं0 [redacted] ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताकर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि " ग्राम मुण्डेरी में मेरी भूमि स्थित है, जिसका खसरा नं. 380 है को पर्यटन ईकाई भवन (मोटेल) में कन्वर्जन पट्टा की फाईल नगर परिषद झालावाड़ में गत् 4 वर्षो से पेण्डिग पड़ी है। जिसकी पॉवर ऑफ अटोर्नी मेरे नाम है, जिसकी 90 क कार्यवाही सहित आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर व समस्त राशि जमा करवा रखी है। जिसपर पट्टा जारी करने के लिये सभापति श्री संजय शुक्ला के हस्ताक्षर होना शेष है। उक्त फाईल पर हस्ताक्षर के लिये में सभापति संजय शुक्ला से मिला तो उन्होने हस्ताक्षर करने के लिये 50.000/-रूपये की मांग रखी और नगर परिषद झालावाड़ में भूमि शाखा के बाबू श्री आकाश से मिलने के लिये कहा। जब मैं आकाश बाबू से नगर परिषद में जाकर मिला और मेरे पट्टे के सम्बन्ध में बात की और मैंने कहा कि मैं चेयरमैन साहब श्री संजय शुक्ला जी से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होने आपसे मिलने के लिये कहा है और वह पट्टे जारी करने के लिये 50.000/-रूपये कि बोल रहे हैं। इस पर आकाश ने कहा कि भाईसाहब आपको पट्टा जारी करवाने के लिये 50 हजार रूपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। मैंने आकाश से हाथाजोड़ी की कि भाईसाहब 50 हजार रूपये तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको इस मेटर में पूर्व में भी पैसे दे चुका हूँ। इसपर आकाश ने कहा कि इस मेटर में, मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आपको पैसे कम करवाने हैं तो आप जाकर वापस चेयरमैन साहब शुक्ला जी से ही मिल लो, जो करेंगे वही करेंगे, नहीं तो मुझे तो आपको 50 हजार रूपये ही देने पड़ेगे। क्योंकि मेरे पास चेयरमैन साहब का कॉल आ चुका है और उन्होंने 50 हजार रूपये लेने के लिये ही बोला है। इस प्रकार नगर परिषद झालावाड़ के चेयरमैन श्री संजय शुक्ला व बाबू श्री आकाश मेरे से मेरा पर्यटन ईकाई भवन (मोटेल) का पट्टा जारी करने की एवज् में मेरे से 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं उनको मेरे जायज काम के लिये इन दोनो को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। उक्त दोनो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी इनसे कोई रंजीश नहीं है ना ही कोई उधारी का लेनेदेन है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करें"। परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 एवं 61(2) बीएनएस की परिधि में आना पाया गया है। अतः परिवादी श्री मधुसुदन वर्मा को आरोपीगण श्री संजय शुक्ला सभापति व श्री आकाश बाबू नगर परिषद झालावाड़ के पास भिजवाया जाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। 03.30 पीएम पर श्री शिवराज कॉनि. 166 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मधुसूदन के सामने चेक किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) डालकर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को आरोपीगण श्री संजय शुक्ला सभापति व श्री आकाश बाबू नगर परिषद झालावाड़ से उसके पेण्डिंग कार्य भूमि कन्वर्जन का पट्टा जारी करने से सम्बंधित रिश्वत मांग की स्पष्ट वार्ता करने एवं उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में

रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश कर कार्यालय के श्री देवदान सिंह कॉनि0 नं. 425 को परिवादी के साथ निगरानी हेतु अपनी-अपनी टू व्हीलर वाहनो से आवश्यक हिदायत देकर नगर परिषद झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। 06.20 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि- नं- 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) पेश कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा दोनों अपनी-अपनी टू व्हीलर वाहनो से रवाना होकर नगर परिषद झालावाड़ के पास सीमेण्ट रोड़ बड़ा बाजार में स्थित आरोपी सभापति श्री संजय शुक्ला के टेण्ट हाउस के पास कुछ दूरी पर रूके। मैंने परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को डीवीआर चालू करने की हिदायत कर वहीं पास आरोपी की दुकान दिखाई देने वाले स्थान पर खड़ा हो गया। परिवादी डीवीआर चालू कर आरोपी श्री संजय शुक्ला के टेंट हाउस पर पहुंचा। आरोपी अपनी दुकान पर बैठा था जिससे परिवादी वार्ता कर रहा था जो मुझे दूर से दिखाई दे रहा था। सभापति श्री संजय शुक्ला से वार्ता कर परिवादी वही पास स्थित नगर परिषद झालावाड़ अपने वाहन से पहुंचा। मैंने उसे जाता देख मैं भी अपने वाहन से उसके पीछे-पीछे नगर परिषद झालावाड़ के पास पहुंचा। अपना वाहन बाहर खड़ा कर नगर परिषद कार्यालय झालावाड़ के अन्दर दिखाई देने वाले स्थान से परिवादी को देख रहा था, जो नगर परिषद के एक कमरे में एक व्यक्ति से बात कर रहा था। कुछ समय उस व्यक्ति से वार्ता करने के बाद परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा नगर परिषद झालावाड़ से निकल कर अपने वाहन से रवाना हुआ। मैं भी उसके पीछे-पीछे रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद परिवादी रोड़ पर एक साईड रूका। मैं परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा के पास पहुंचा तो परिवादी ने मुझे बताया कि मैंने श्री संजय शुक्ला सभापति से अपने पेडिण्ग कार्य भूमि कन्वर्जन का पट्टा जारी कराने की वार्ता की आपके हस्ताक्षर नहीं होने से मेरा पट्टा जारी नहीं हो रहा है, इसपर उन्होने कागज पर लिखकर 40 हजार रूपये की मांग की इसपर मैंने उनसे 30 हजार रूपये देने की कहा तो उन्होने कहा आकाश से मिल लेना। इस पर मैं वहां से रवाना होकर नगर परिषद झालावाड़ में भूमि शाखा में आकाश बाबू के पास पहुंचा तो उसने मुझे बताया था कि अभी मेरे पास चेयरमेन साहब का फोन आया था उन्होने 30 हजार रूपये देने की बोला है। इस पर मैंने आकाश बाबू से कहा कि मैं तो उनसे 30 हजार रूपये की बोलकर आया हूँ। इस पर आकाश बाबू ने मुझसे कहा ठीक है देखलेना मैं तुझे बता दूंगा कब देना है किस व्यक्ति को देना है। उसके बाद मैं वहां से रवाना होकर बाहर आया डिजीटल टेप रिकॉर्डर बन्द कर वहां से रवाना हुआ था। परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने मुझे डीवीआर सुपूर्द कर कहा की मुझे 30 हजार रूपयों का इन्तजाम करना है मैं सुबह साढ़े आठ बजे रूपये लेकर एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर मैं परिवादी को वहीं छोड़कर अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आया हूं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा कानिस्टेबल को बताये गये कथनों पुष्टि हुई। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री देवदान सिंह कानि. 425 द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द शुदा को श्री शिवराज कॉनि. 166 को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। आईन्दा परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा एवं दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। समय 06.30 पीएम पर परिवादी के बताये अनुसार कल दिनांक 22.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना है। अतः पूर्व से पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान श्री राधेश्याम मालोदिया वरिष्ठ सहायक मो.नं. [redacted] व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक मो0नं0 [redacted] कार्यालय जिला परिषद झालावाड़ को सुबह 08.30 एएम पर एसीबी कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होने हेतु जरिये दूरभाष उनके मोबाईलो पर कॉल कर पाबन्द करवाया गया। दिनांक 22.07.2025 समय 08.30 एएम पर कार्यालय हाजा में पूर्व से तलबिदा दो स्वतंत्र गवाहान जो कार्यालय पत्रांक 634 दिनांक 18.07.2025 द्वारा कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़ के पत्रांक 89 दिनांक 18.07.2025 से कार्यालय में उपस्थित आये हुए है, जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री राधेश्याम मालोदिया पुत्र श्री गोपाल लाल सालोदिया जाति मालोदिया उम्र 57 वर्ष निवासी आरटीओ ऑफिस के पीछे खण्डियां कॉलोनी झालावाड़ हाल वरिष्ठ सहायक जिला परिषद झालावाड़ मो0नं0 [redacted] व दूसरे अपना नाम श्री ईश्वर राठौर पुत्र श्री नन्दकिशोर राठौर जाति तेली उम्र 45 वर्ष निवासी मंगलपुरा पोस्ट ऑफिस के पीछे झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद झालावाड़ मो0नं0 [redacted] होना बताया। जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाईश कर कार्यालय में बैठाया गया। समय 08.35 एएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि वह अपने साथ दिनांक 21.07.2025 को आरोपीगणो से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार उन्होने मुझ से 40,000/-रूपये की मांग की थी परन्तु मैंने उनसे 30,000/-रूपये ही देने की कहा था, जो मैं लेकर आया हूँ। मैंने अपनी भूमि का कन्वर्जन पट्टा जारी कराने के सभापति श्री संजय शुक्ला व श्री मुकेश बाबू को उनकी मांग अनुसार आज 30,000/-रूपये देने की कहा है। वह कभी भी मुझे फोन कर सकते है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम मालोदिया व श्री ईश्वर

राठौर से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री मधुसूदन द्वारा दिनांक 21.07.2025 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ठ सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कॉनि0 166 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि दिनांक 21.07.2.2025 को परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा की आरोपीगण श्री संजय शुक्ला सभापति व श्री आकाश बाबू से अलग-अलग रिश्वत मांग की गोपनीय सत्यापन वार्तायें हो चुकी है। जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) में अलग-अलग लिंक फोल्डर में रिकॉर्ड है। श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड मे उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप में लिवाकर दिनांक 21.07.2025 को परिवादी एवं श्री संजय शुक्ला सभापति के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का लिंक फोल्डर 250721_1729 को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री संजय शुक्ला सभापति तथा तीसरी आवाज अन्य व्यक्ति की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा एवं आरोपी श्री संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.00 एएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) में अलग-अलग लिंक फोल्डर में रिकॉर्ड वार्ताओ में दिनांक 21.07.2025 को परिवादी एवं श्री आकाश बाबू के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का लिंक फोल्डर 250721_1755_01 को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री आकाश बाबू तथा तीसरी आवाज अन्य व्यक्ति की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा एवं आरोपी श्री आकाश बाबू नगर परिषद झालावाड़ मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने दोनों स्वतंत्र श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ठ सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक के समक्ष अपने पास से आरोपीगण श्री संजय शुक्ला सभापति व श्री आकाश बाबू नगर परिषद झालावाड़ की मांग अनुसार उन्हें देने हेतु रिश्वत राशि के 500-500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री छोटू लाल कानि. चालक नं. 534 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गई तथा उक्त कानि. चालक को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 30,000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री ईश्वर राठौर से परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री छोटू लाल कानि. चालक नं. 534 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपीगण से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री छोटू लाल कानि0 चालक से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री छोटू लाल कानि0 चालक के दाहिने हाथ की अंगुलियां को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ठ सहायक व श्री ईश्वर

राठौर कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है या छुई है। इसके पश्चात् श्री छोटू लाल कानि. चालक के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री छोटू लाल कानि0 चालक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को सुपुर्द किया गया। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की पृथक मे फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने बताया कि आरोपी आकाश बाबू ने रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान कहा था कि श्री संजय शुक्ला सभापति को मेरे द्वारा कॉल कर या उनका मेरे पास कॉल आने पर कि किस व्यक्ति को रूपये दिलवाने है मैं तुम्हें कॉल कर बता दूंगा। काफी समय तक इन्तजार करने के पश्चात् भी आरोपी आकाश बाबू का परिवादी के मोबाईल पर कॉल नहीं आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को कॉनि0 देवदान सिंह के साथ आपने-अपने टू व्हीलर वाहनो से आरोपीगण श्री संजय शुक्ला सभापति व श्री आकाश बाबू को दिखवाने व स्थिति जानने के लिये नगर परिषद झालावाड़ के लिये रवाना किया गया। समय 04.30 पीएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा व श्री देवदान सिंह कॉनि0 कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) सुपुर्द कर बताया कि यहां से रवाना होकर हम नगर परिषद झालावाड़ जा रहे थे जब आरोपी श्री संजय शुक्ला सभापति अपनी टेंट हाउस की दुकान में बैठा हुआ था मगर उसने मुझसे श्री आकाश बाबू के बताये अनुसार ही रूपये देने की कहा था इसलिये मैं नगर परिषद झालावाड़ में भूमि शाखा के कमरे में श्री आकाश बाबू के पास पहुंचा वहां काफी भीड़ थी। कुछ देर इन्तजार करने के बाद मैंने उनसे रिश्वत राशि किसे देना है के सम्बन्ध में वार्ता की तो उन्होने कहा मेरे पास अभी काम बहुत है, ये काम तसल्ली से होने वाले है, ये पैसे मेरे लिये तो लूंगा नहीं, मैं चेयरमैन साहब से पूछकर उन्हीं के आदमी को पैसे दिलवाऊगा, अभी आप जाओ, मैं आपको फोन कर आपको बता दूंगा। श्री देवदान जी भी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए वही मौजूद रहे थे। इस पर हम दोनो नगर परिषद झालावाड़ से रवाना होकर कार्यालय में आये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान कॉनि0 से पूछने पर उसने परिवादी के कथनो की ताईद की। इस पर डीवीआर को चालू कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो परिवादी एवं श्री देवदान कॉनि0 के कथनो की पुष्टि हुई। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.00 पीएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) में अलग-अलग लिंक फोल्डर में रिकॉर्ड वार्ताओ में दिनांक 22.07.2025 को परिवादी एवं श्री आकाश बाबू के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का लिंक फोल्डर 250722_1538_01 को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री आकाश बाबू तथा तीसरी आवाज अन्य व्यक्ति की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा एवं आरोपी श्री आकाश बाबू नगर परिषद झालावाड़ मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.00 पीएम पर काफी इन्तजार करने के पश्चात् भी जब आरोपी श्री आकाश बाबू का परिवादी के मोबाईल पर कॉल नहीं आया। इस पर ट्रेप कार्यवाही पेण्डिग रखने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा की जेब से रिश्वत राशि 30,000/-रूपये को गवाह ईश्वर राठौर से निकलवाकर श्री शिवराज कॉनि0 को निर्देश देकर एक लिफाफे में रखवाया तथा जरिये श्री शिवराज कॉनि0 रिश्वत राशि का लिफाफा व डीवीआर को सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को समझाईश की गई कि जब भी आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु कॉल करें तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पर्क करें। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने व कॉल करने पर तुरन्त ऑफिस में उपस्थित होने की हिदायत कर दोनो स्वतन्त्र गवाहान् श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ठ सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक तथा परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को कार्यालय से रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम

कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। दिनांक 28.07.2025 समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा द्वारा ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 21.07.2025 को रिश्वत मांग के सम्बन्ध में पेश अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में नाही कोई कॉल किया है नाही कार्यालय में उपस्थित हुआ है। इस पर कॉल करवाकर परिवादी को बुलवाने पर कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् करवाया कि अभी तक मेरे पास श्री आकाश बाबू का कॉल नहीं आया है। बिना बुलाये उसके पास जाने पर उसे मेरे उपर शक हो सकता है। मैं श्री आकाश बाबू के कॉल का इन्तजार कर रहा हूँ। मैंने पता किया था, श्री संजय शुक्ला सभापति भी अधिक बरसात होने से नगर परिषद में नहीं बैठ रहे हैं। अभी मैं एक-दो दिन और श्री आकाश बाबू के कॉल का इन्तजार करूंगा। उनका कॉल नहीं आने पर दोनो आरोपीगण की नगर परिषद झालावाड़ में उपस्थिति सुनिश्चित होने पर मैं अपने पेण्डिग कार्य के सम्बन्ध में बात करने नगर परिषद जाऊंगा। इस पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा की मंशानुसार कार्यवाही पेण्डिग रखने का निर्णय लिया गया तथा समझाईश कर कार्यालय से रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। दिनांक 31.07.2025 समय 11.10 एएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् करवाया कि अभी तक मेरे पास श्री आकाश बाबू का कॉल नहीं आया है। श्री संजय शुक्ला सभापति व श्री आकाश बाबू नगर परिषद झालावाड़ में उपस्थित हैं या नहीं पता करके वापस आता हूँ। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के श्री देवदान सिंह कॉनि0 को परिवादी के साथ नगर परिषद जाकर गोपनीय रूपसे हालात् पता करने हेतु अपने-अपने वाहनो से रवाना किया गया। समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा व श्री देवदान सिंह कॉनि0 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं व श्री देवदान जी एसीबी कार्यालय से रवाना होकर श्री संजय शुक्ला सभापति की टेन्ट हाऊस की दूकान के सामने से जा रहे थे तब श्री संजय शुक्ला अपनी दुकान में उपस्थित नहीं थे। नगर परिषद झालावाड़ पहुंचकर मैंने सभापति का पता करवाया तो वह कार्यालय में भी उपस्थित नहीं थे। इसके बाद में नगर परिषद के भूमि शाखा के रूम में पहुंचा जहां श्री आकाश बाबू भी उपस्थित नहीं थे। मैंने कुछ देर नगर परिषद में रूककर दोनो का इन्तजार किया परन्तु वह दोनो नहीं आये। इस पर मैंने नगर परिषद के अन्य कर्मचारियों से पता किया तो बताया कि आकाश जी व सभापति जी आज नहीं आये हैं, अवकाश पर हैं या नहीं इस बारे में भी किसी ने कुछ नहीं बताया। इस पर नगर परिषद से बाहर आकर मैंने हालात देवदान जी को बताये तथा वहां से रवाना होकर हम दोनो अपने-अपने वाहनो से कार्यालय आये है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कॉनि0 से पूछने पर बताया कि मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए भीड़ में नगर परिषद में ही मौजूद था। आज दोनो ही आरोपीगण नगर परिषद में मौजूद नहीं थे तथा श्री देवदान कॉनि0 द्वारा परिवादी के कथनो की ताईद की गई। इस पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने व आरोपीगण का रिश्वत राशि मांगने हेतु कॉल आने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने की समझाईश कर कार्यालय से रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। दिनांक 04.08.2025 समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् करवाया गया कि मैनें पता करवाया था कि श्री संजय शुक्ला सभापति एवं श्री आकाश बाबू नगर परिषद झालावाड़ में उपस्थित है। मैं आज अपने पट्टे के सम्बंध में रिश्वत राशि लेकर बात करने जाउंगा। इस पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो सरकारी गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया एवं श्री ईश्वर राठौर को जर्ये दुरभाश कॉल कर शीघ्र कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। समय 11.15 एएम पर दोनो सरकारी गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया एवं श्री ईश्वर राठौर कार्यालय में उपस्थित आये जिन्हे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत् करवाया कि परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने बताया है कि दोनो आरोपीगण नगर परिषद झालावाड़ में उपस्थित है, आज यह अपना पट्टा जारी करवाने के लिये रिश्वत राशि लेकर उनसे बात करने जायेंगे। इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से वार्ता कर कार्यवाही में साथ रहने की सहमति दी। समय 11.30 एएम पर दोनो सरकारी गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री छोटूलाल कानि चालक 534 को निर्देशित कर कार्यालय मालखाना में पूर्व में लिफाफे में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि निकलवाकर मंगवाई गई। स्वतंत्र गवाह श्री ईश्वर राठौर से परिवादी श्री मधुसूदन की तलाशी लिवाकर उसके पास पहने कपडो के अलावा कुछ भी नही रहने दिया गया। कानि चालक श्री छोटूलाल से उक्त रिश्वत राशि 500-500 रूपये के नम्बरी 60 नोटों को लिफाफे से निकलवाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब रखवाई गई तथा श्री शिवराज कानि 166 को निर्देशित कर कार्यालय मालखाना से पूर्व में लगा मेमोरी कार्ड सहित डीवीआर निकलवाकर चैक कर रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को सुपुर्द किया गया। श्री छोटूलाल कानि चालक से लिफाफे को नष्ट करवाकर हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया, साथ ही ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ भी साबुन पानी से धुलवाये गये। समय 11.35 एएम पर परिवादी श्री मधुसुदन वर्मा को अपने कार्य के सम्बंध में उसकी मोटरसाईकिल से नगर परिषद झालावाड़ के लिये रवाना कर तथा उसके पीछे-पीछे श्री देवदान सिंह कानि 425, श्री गोपाल लाल सउनि, श्री शीशराम कानि 126, श्री शिवराज कानि 166 को अलग-अलग मोटरसाईकिलों से नगर परिषद झालावाड़ की ओर रवाना कर हिदायत की गई कि वह अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये नगर परिषद के आस-पास परिवादी की निगरानी करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों सरकारी

गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर, श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक, श्री मोहम्मद आफाक सउनि मय ट्रेप बॉक्स, कम्प्यूटर लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री को सरकारी वाहन बोलेरों मे रखवाकर मय चालक श्री छोटूलाल न. 534 के सरकारी वाहन से उनके पीछे-पीछे रवाना हुई। समय 11::50 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता नगर परिषद झालावाड़ के पास स्थित गढ़ पैलेस में पहुंची। सरकारी वाहन को गढ़ पैलेस में एक साईड खड़ा करवाकर चालक श्री छोटूलाल को वाहन में ही छोडकर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं जाब्ते को साथ लेकर पैदल-पैदल नगर परिषद झालावाड़ के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये पहुंचे, जहां पूर्व से निर्देशित जाब्ता भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये नगर परिषद के आस-पास मौजूद था, नगर परिषद झालावाड़ के आस-पास मुकिम रहकर परिवादी द्वारा आरोपीगण को रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतिक्षा में ट्रेप जाल बिछाकर मुकिम रहे। समय 03::00 पीएम पर काफी समय इंतजार करने के पश्चात परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा नगर परिषद झालावाड़ से बाहर निकलकर बिना कोई ईशारा किये दाहिनी साईड रोड़ पर पैदल-पैदल जाने लगा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं जाब्ता कुछ दूरी बनाकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुये। परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा नगर परिषद बड़ा बाजार में सामने वाली लाईन में बनी दुकानों में कुछ दूरी पर जाकर मारवाड़ा टैन्ट हाउस के सामने जाकर रूका एवं दुकान के अन्दर प्रवेश किया तथा दुकान में मौजूद व्यक्तियों से वार्ता करने लगा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं जाब्ता परिवादी द्वारा रिश्वत देने के ईशारे की प्रतिक्षा में आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम हुये। समय 03::25 पीएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने मारवाड़ा टैन्ट हाउस, बडा बाजार, झालावाड़ के बाहर से अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर एसीबी टीम की ओर रिश्वत राशि देने का ईशारा किया। जिस पर बड़ा बाजार रोड़ पर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये हुये ट्रेप टीम के सदस्यगण श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री गोपाल लाल सउनि, श्री देवदान सिंह कानि 425, श्री शिवराज कानि 166, श्री शीशराम कानि 126 एवं दोनो सरकारी गवाहान को साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी मधुसूदन वर्मा के पास पहुंची। तथा डीवीआर परिवादी के हाथ से लेकर बंद किया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि नगर परिषद में श्री आकाश बाबूजी ने श्री संजय शुक्ला सभापति से पूछकर मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर श्री अजय कुमार को 30,000/- रूपये देने के लिये कहा था। इस पर मैंने अभी-अभी आकाश बाबू के कहे अनुसार बड़ा बाजार रोड़ पर स्थित मारवाड़ा टेन्ट हाउस पर टी शर्ट और काली जीन्स पेन्ट पहने श्री अजय कुमार जी को 30000/- रूपये रिश्वत राशि के दिये है जो अभी रूपयों को हाथ में लेकर गिन रहे है। परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा को साथ लेकर जाप्ता एवं दोनो स्वतंत्र गवाहन को पीछे आने का ईशारा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर पहुंची जहां एक व्यक्ति परिवादी के बताये हुलियेनुमार कुर्सी पर बैठे हुये नोटो को गिन रहा था, जिसकी ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही अजय कुमार जी है जिनको 30,000/-रूपये देने के लिये श्री संजय शुक्ला सभापति द्वारा श्री आकाश बाबूजी को बताया था, तथा उनके कहने पर ही मैने अभी-अभी इनको 30,000/-रूपये दिये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना नाम, पद का परिचय देते हुये आने का कारण बताकर उससे नाम पता पूछा गया तो वह थोड़ा घबरा गया तथा अपना नाम श्री अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति माली उम्र 38 साल निवासी जैन मंदिर के पीछे बड़ा बाजार झालावाड़ होना बताया। 180 बीएनएसएस के तहत नया मेमोरी कार्ड लगाकर सरकारी मोबाईल फोन से समस्त पूछताछ को रिकॉर्ड किया गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अभी-अभी परिवादी श्री मधुसूदन से ली गई रिश्वत राशि जिनको वह गिन रहा था के बारे में पूछा कि यह आपने किसके कहने पर लिये है तो कुछ देर सोचकर आरोपी श्री अजय कुमार ने परिवादी श्री मधूसूदन वर्मा की ओर ईशारा कर बताया कि इन्होने मुझे अभी-अभी 30,000/-रूपये दिये है, इन्होने कहा कि श्री संजय शुक्ला सभापति एवं श्री आकाश कलोसियां ने 30,000/-रूपये मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर श्री अजय कुमार को देने के लिये कहा था जिस पर इन्होने मेरा नाम पूछकर 30,000/-रूपये दिये है। इस पर मैने अपने मोबाईल मे कॉल कर श्री संजय शुक्ला सभापति से बात की। फिर मैने श्री आकाश कलोसियां जी के कॉल किया तो उन्होने कहा कि मधुसूदन जी की सुन लेना क्या कहना चाह रहे है, फिर मधुसूदन जी ने मुझे 500-500 रूपये की नोटो की गड्डी देकर बताया कि यह 30,000/-रूपये है। इस पर मैं नोटो को गिन ही रहा था कि इतने में आप लोग आ गये। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा से श्री अजय कुमार को 30,000/-रूपये रिश्वत राशि देने बाबत पूछा गया तो परिवादी मधुसूदन वर्मा ने बताया कि नगर परिषद में मुझे श्री आकाश कलोसियां बाबूजी ने कहां था कि चैयरमैन साहब से बात हो गई है उन्होने मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर श्री अजय कुमार जी को 30,000/-रूपये देने की कहा हैं, तुम वहां जाकर रूपये दे आओं। इस पर मैं नगर परिषद से थोडा आगे मेन रोड़ पर स्थित मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर पहुंचा तथा कहां कि चैयरमैन साहब के रूपये देने है, तो वहां मौजूद श्री अजय कुमार जी ने मुझसे मेरा नाम पूछा, उसके बाद इन्होने चैयरमैन साहब के फोन लगाया, तो चैयरमैन साहब ने श्री अजय कुमार जी को बताया कि आकाश से बात कर लो, इस पर अजय कुमार जी ने आकाश जी को व्हाट्स एप कॉल लगाया तो आकाश जी ने कॉल रिसीव नही किया, इस पर अजय कुमार जी ने मुझसे कहां कि आकाश जी मेरा फोन नही उठा रहे है आप फोन लगाओ, इस पर मैने आकाश जी को फोन लगाया तो फोन व्यस्त आ रहा था, मैने अजय कुमार जी से बोला कि अभी फोन व्यस्त आ रहा है, इस पर अजय कुमार जी ने कुछ देर बाद

आकाश जी को फोन लगाया और आकाश जी से कहां कि मधुसूदन जी आये है आपने भेजा है क्या, फिर आकाश जी ने अजय कुमार जी को रूपये लेने के लिये कहां, इस पर श्री अजय कुमार जी ने कहां कि आकाश जी ने रूपये लेने की हां भर दी है, तो मैने अजय कुमार जी को 30,000/-रूपये देकर गिनने की कहां तो अजय कुमार जी रूपये गिनने लग गये और मैने एसीबी टीम की ओर रिश्वत देने का ईशारा कर दिया। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री ईश्वर राठौर को आरोपी के हाथ से रिश्वत राशि लेकर अपने पास रखने के निर्देश दिये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी श्री अजय कुमार के दोनों हाथों को कलाई से उपर पकड़ने के निर्देश दिये गये जिस पर शिवराज कानि 166 से आरोपी श्री अजय कुमार के हाथ पकड़वाये एवं श्री शीशराम कानि 126 को कार्यालय के मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग बनाने के निर्देश दिये गये। श्री गोपाल लाल सउनि व श्री देवदान सिंह कानि 425 को निर्देशित कर श्री आकाश कलोमियां कनिष्ठ सहायक व श्री संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ को डिटेन करने हेतु नगर परिषद झालावाड़ रवाना किया गया। ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के साफ गिलासो को निकलवाकर उसमें आधा-आधा साफ पानी डलवाया गया तथा दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस पर अलग-अलग दोनो गिलासो के घोलों में आरोपी श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति के बारी-बारी से दाहिने-बाये हाथों को धुलवाया गया तो दोनो गिलासो के धोवनों के घोल का रंग गुलाबी हो गया। दाहिने हाथ के धोवन को दो कांच की शीशीयो में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर मार्क आरएच-1, आरएच-2, व बांये हाथ के धोवन को भी दो कांच की अलग-अलग शीशीयो में भरकर सील मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। धोवन में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पॉजल गिलासो को नष्ट करवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री राधेश्याम सालोदिया से श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति की तलाशी लिवाई गई तो दो नवरतन जर्दे के पाउंच एवं 1140 रूपये नगद मिले। जिनको अजय कुमार के कहेनुसार घनश्याम राठौर को लोटाये गये। श्री अजय कुमार के हाथ से बरामद रिश्वत राशि 30,000/-रूपये जो स्वतंत्र गवाह श्री ईश्वर राठौर के पास सुरक्षित रखवाई गई थी। उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री राधेश्याम सालोदिया को फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट सुपुर्द कर उसमें अंकित रिश्वत राशि 30,000/-रूपये के नोटो के नम्बरो को दोनो स्वतंत्र गवाहान से फर्द में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने फर्द से मिलान कर 500-500रूपये के 60 नोट कुल 30,000/-रूपये हुबहू होना बताया जो निम्न प्रकार है- 1एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7MS 121718 2एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2RF 373384 3एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7RA 888955 4 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8ER 870190 5एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9FP 287855 6एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5FW 592208 7एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6KL 768519 8एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4FP 399067 9एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1KH 694849 10एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8HN 436054 11एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6BN 405710 12एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7HS 356447 13एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6HR 800940 14एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9RW 125791 15एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6LU 939338 16एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5SC 166427 17एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3DW 003217 18एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2EA 625403 19एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5AS 841642 20एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1FK 628430 21एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2UB 951712 22एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6RE 849600 23एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2DG 050783 24एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7AW 258344 25एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7SB 524151 26एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3QB 072271 27एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7WC 244641 28एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4WU 048066 29एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2TT 480734 30एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4BR 339810 31एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1FN 995412 32एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1RK 412662 33एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8DQ 075541 34एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3NP 864360 35एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1QS 592504 36एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8UN 210605 37एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5QP 068367 38एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8FW 970768 39एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0AL 378190 40एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9BQ 232495 41एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4FH 886115 42एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5FD 972115 43एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5GC 888131 44एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4BN 134873 45एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8FD 257364 46एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5VR 015470 47एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8KK 399890 48एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3EG 809702 49एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6EF 915185 50एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8DS 152655 51एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5SV 036838 52एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4FF 137497 53एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6VW 629758 54एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7SM 872705 55एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0PE 186250 56एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6AF 682008 57एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3PL 057750 58एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7BS 955747 59एक नोट

500/-रूपये का नम्बर 6KA 745964 60एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0FE 097568 उक्त रिश्वत राशि 500-500 रूपयें के 60 नोटों को एक पीले कलर के लिफाफे में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवार कर कब्जे एसीबी लिये गये। कुछ समय बाद श्री गोपाल लाल सउनि व श्री देवदान सिंह कानि, श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक को डिटेन कर घटनस्थल मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर लेकर आये जिससे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना नाम व पद का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री आकाश कलोसियां पुत्र श्री सुरेश कुमार कलोसियां जाति हरिजन उम्र 33 साल निवासी बस स्टेण्ड रोड, शिव मंदिर के सामने झालरापाटन हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद झालावाड़ होना बताया। श्री आकाश कलोसिया से श्री अजय कुमार को दिलवाई गई रिश्वत राशि 30,000/-रूपये के बारे में पूछा गया तो श्री आकाश कलोसिया ने बताया कि मैने श्री संजय शुक्ला चैयरमैन साहब से पूछा कि श्री मधुसूदन जी है जो आपसे मिलना चाह रहे है, तो चैयरमैन साहब ने कहां कि मैं कही बाहर जा रहा हूं, मधुसूदन जी से बोल दो कि मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर अजय कुमार उर्फ विक्की से मिल ले। इस पर मैने मधुसूदन जी को मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर भेज दिया था। इस पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा से पूछा तो उन्होने आरोपी श्री आकाश कलोसियां की बात का खण्डन करते हुये बताया कि आकाश जी ने मुझे बोला कि मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर श्री अजय कुमार जी चैयरमैन साहब के आदमी है, आप उनसे मिलकर उन्हे रूपये दे दो। श्री संजय शुक्ला सभापति के बारे में नगर परिषद गये जाब्ते से पूछा गया तो जाब्ते ने बताया कि श्री संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद में नही थे। इस पर हमने उनके घर पर मोटर गैरेज चौराहा, ऑल्ड ब्लॉक स्कूल के पास घर पर पता किया तो कोटा जाना बताया है। इस पर श्री गोपाल लाल सउनि व श्री देवदान कानि 425 को आरोपी की तलाश हेतु पुनः रवाना किया। श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक को परिवादी की पट्टे की फाईल लाने हेतु नगर परिषद झालावाड़ रवाना किया गया। घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाने के कारण सुरक्षा की दृश्टि से डिटेन शुदा आरोपीगण श्री अजय कुमार व श्री आकाश कलोसिया कनिष्ठ सहायक को सरकारी वाहन में बिठाकर मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाब्ते के मय जब्त शुदा आर्टिकल्स रिश्वत राशि मय ट्रेप बॉक्स के रवाना होकर पास ही स्थित महिला थाना झालावाड़ पहुंचे, जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने एसएचओ के चैम्बर में बैठे श्री मुकेश कुमार मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी महिला थाना झालावाड़ को अपना परिचय देकर की गई ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताकर अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कमरा थाना भवन में उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया तो उन्होने एक कमरा उपलब्ध करवाया। जहां पर बैठकर ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कुछ समय बाद श्री गोपाल लाल सउनि व श्री देवदान सिंह कानि उपस्थित आये व बताया कि आरोपी के घर पर व उसके मिलने वाले स्थानों पर तलाश की परन्तु कोई पता नही चला इस पर आरोपी श्री संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ की लोकेशन लेकर कोटा शहर पुलिस की मदद से नाकाबंदी भी करवाई गई। कुछ समय बाद आरोपी का मोबाईल फोन स्वीच ऑफ आने से, सही लोकेशन नही मिलने से डिटेन नही किया जा सका। आरोपी श्री संजय शुक्ला सभापति को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से फरार हो गया है जिसे डिटेन करने के प्रयास जारी है। श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मधुसूदन की पट्टे की मूल फाईल नगर परिषद झालावाड़ से लेकर आये जिसका अवलोकन कर शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 05.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक को आरोपी श्री आकाश कलोसियां निवासी बस स्टेण्ड रोड, शिव मंदिर के सामने झालरापाटन जिला झालावाड़ के आवास की खाना तलाशी लेने हेतु निर्देशित कर श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर व श्री शिवराज कानि 166 को झालरापाटन के लिये रवाना किया। समय 06.20 पीएम पर श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर व श्री शिवराज कानि 166 के आरोपी श्री आकाश कलोसियां निवासी बस स्टेण्ड रोड, शिव मंदिर के सामने झालरापाटन जिला झालावाड़ के मकान की खाना तलाशी लेकर मुर्तिब शुदा फर्द खाना तलाशी दिनांक 04.08.2025 समय 05.10 पीएम लेकर आये। जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.15 पीएम पर आरोपी श्री अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति माली उम्र 38 साल निवासी बडा बाजार झालावाड़ हाल मारवाड़ा टैन्ट हाउस संचालक बडा बाजार झालावाड को उसके संवैधानिक अधिकारों मे अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि आज दिनांक 04.08.2025 को परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा द्वारा आपसे मारवाड़ा टैन्ट हाउस, बडा बाजार झालावाड़ में रिश्वत लेनदेन वार्ता के समय परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा से आपकी वार्ता हुई थी, उक्त वार्ता को परिवादी श्री मधुसूदन द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। जिसमें आपकी रिकॉर्डशुदा आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया जाना है जिसके लिये आप अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध कराये। जिसकी फर्द नियमानुसार मुर्तिब की जाकर आरोपी श्री अजय कुमार को नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो उसने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से नहीं देना चाहता" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.30 पीएम पर आरोपी श्री आकाश कलोसियां पुत्र श्री सुरेश कुमार कलोसियां जाति हरिजन उम्र 33 साल निवासी बस स्टेण्ड रोड, शिव मंदिर के सामने झालरापाटन हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद झालावाड को उसके

संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा से आपकी दिनांक 21.07.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 22.07.2025 को रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता व आज दिनांक 04.08.2025 को रिश्वत लेनदेन के समय नगर परिषद झालावाड़ में आपकी वार्ता हुई थी, उक्त वार्ता को परिवादी श्री मधुसूदन द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। जिसमें आपकी रिकॉर्डशुदा आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया जाना है जिसके लिये आप अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध कराये जाने बाबत नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री आकाश कलोसिया ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से नहीं देना चाहता" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.45 पीएम पर आरोपी श्री अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति माली उम्र 38 साल निवासी बडा बाजार झालावाड़ हाल मारवाड़ा टैन्ट हाउस संचालक बडा बाजार झालावाड़ को परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा की खसरा नम्बर 380 को पर्यटन ईकाई भवन(मोटेल) में कन्वर्जन पट्टा जारी हेतु सभापति श्री संजय शुक्ला के हस्ताक्षर होना शेष है। सभापति श्री संजय शुक्ला द्वारा पट्टा जारी करने हेतु 50,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 30,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना तथा सभापति संजय शुक्ला द्वारा आरोपी श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक को रिश्वत राशि श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाने की कहने पर श्री अजय कुमार द्वारा परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा से 30,000/- रूपये प्राप्त करते हुए पकड़े जाना तथा दोनो हाथों का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना व रिश्वत राशि 30,000/-रूपये आरोपी के हाथों से बरामद करना जुर्म धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी श्री अजय कुमार को धारा 35(3) बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य मे किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यां को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राधेश्याम सालोदिया से लिवायी गयी तो पेन्ट की दाहिनी जेब मे एक मोबाईल विवो वी 50 5जी कम्पनी, पिंक कलर का का जिसमें दो सिम कार्ड लगे हुये एक सिम के नम्बर एयरटेल कम्पनी की एवं एक सिम नम्बर जीओ कम्पनी का मिला।उक्त मोबाईल नम्बरो से आरोपीगणो की आपस में वार्ता हुई है जिसको बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी लिया गया एवं जप्त शुदा मोबाईल को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। आरोपी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में 1140 रूपये एवं दो जर्दे के पाउंच मिले। इसके अतिरिक्त पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिली। आरोपी के कहेनुसार उक्त राशि-व पाउंच स्वप्निल सहाय भटनागर को लोटाकरं गिरफ्तारी की सूचना दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक मे मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 08.00 पीएम पर आरोपी श्री आकाश कलोसियां पुत्र श्री सुरेश कुमार कलोसियां जाति हरिजन उम्र 33 साल निवासी बस स्टेण्ड रोड, शिव मंदिर के सामने झालरापाटन हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद झालावाड को परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा की खसरा नम्बर 380 को पर्यटन ईकाई भवन(मोटेल) में कन्वर्जन पट्टा जारी हेतु सभापति श्री संजय शुक्ला के हस्ताक्षर होना शेष है। सभापति श्री संजय शुक्ला द्वारा पट्टा जारी करने हेतु 50,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 30,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना तथा सभापति संजय शुक्ला द्वारा आरोपी श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक को रिश्वत राशि श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाने की कहने पर श्री अजय कुमार को परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा से 30,000/- रूपये दिलवाना जिससे प्राईवेट व्यक्ति अजय कुमार से रिश्वत राशि 30,000/-रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी श्री अजय कुमार को धारा 35(3) बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यां को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री ईश्वर राठौर से लिवायी गयी तो आरोपी पहने हुये कपड़ो में एक मोबाईल वन प्लस 9 आर कम्पनी, काला रंग का, डबल सिम जिसमे एक सिम नम्बर एयरटेल कम्पनी एवं एक सिम नम्बर । जीओ कम्पनी के लगे हुये है। उक्त मोबाईल से आरोपी गणों की आपस में एवं परिवादी से वार्ता हुई है जिसको बतौर वजह सबूत जप्त कर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इसके अतिरिक्त पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिली। आरोपी के कहेनुसार गिरफ्तारी की सूचना चचेरे भाई श्री कपिल कलोसियां को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 08.20 पीएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा

व आरोपी श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 04.08.2025 को रिश्वत देने के सम्बंध में वार्ता हुई थी जिसको परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द शुदा डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) में अलग-अलग लिंक फोल्डर में रिकॉर्ड वार्ताओ में दिनांक 04.08.2025 का लिंक फोल्डर 250804_1502 को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री आकाश कलोसिया कनिष्ठ सहायक की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत देने के सम्बंध में हुई वार्ता को मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.00 पीएम पर दिनांक 04.08.2025 को परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा द्वारा आरोपी दलाल श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति को रिश्वत देते समय दोनो के मध्य रिश्वत लेनदेन से सम्बंधित वार्ता हुई थी तथा लेनदेन के समय दलाल श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा आरोपी श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक एवं श्री संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ से भी मोबाईल पर वार्ता हुई है जो डीवीआर में रिकॉर्ड हुई है जिसको परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द शुदा डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) में अलग-अलग लिंक फोल्डर में रिकॉर्ड वार्ताओ में दिनांक 04.08.2025 का लिंक फोल्डर 250804_1517 को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ताओं को सुनाया गया, उक्त वार्ताओं में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी दलाल श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति की तथा फोन पर दलाल द्वारा आरोपी श्री आकाश कलोसिया कनिष्ठ सहायक व श्री संजय शुक्ला सभापति की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन के सम्बंध में हुई वार्ता को मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.30 पीएम इस समय दिनांक 21.07.2025 को परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा व आरोपी श्री संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ के मध्य रिश्वत की मांग सत्यापन से संबंधित वार्तालाप हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 22.07.2025 को समय 09.00 एएम पर तैयार की गई थी। दिनांक 21.07.2025 को परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा व आरोपी श्री आकाश बाबू नगर परिषद झालावाड़ के मध्य रिश्वत की मांग सत्यापन से संबंधित वार्तालाप हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 22.07.2025 को समय 10.00 एएम पर तैयार की गई थी। दिनांक 22.07.2025 को परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा व आरोपी श्री आकाश बाबू नगर परिषद झालावाड़ के मध्य रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता से संबंधित वार्तालाप हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता दिनांक 22.07.2025 को समय 05.00 पीएम पर तैयार की गई थी। दिनांक 04.08.2025 को रिश्वत देने के सम्बंध में परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा व आरोपी श्री आकाश कलोसिया कनिष्ठ सहायक के मध्य वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत देने के सम्बंध में फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 04.08.2025 को समय 08.20 पी.एम. पर तैयार की गई थी। दिनांक 04.08.2025 को रिश्वत लेनदेन के सम्बंध में परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा व आरोपी दलाल श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति के मध्य वार्ता हुई थी, जिसमें दलाल द्वारा आरोपी गण श्री आकाश कलोसियां व श्री संजय शुक्ला सभापति से भी मोबाईल पर वार्ता की गई थी। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 04.08.2025 को समय 09.00 पी.एम. पर तैयार की गई। उक्त पांचो वार्ताऐं कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड थी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय लेपटॉप में लगाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा लेपटॉप में पेन ड्राईव लगाकर छः क्लोनिंग पेन ड्राईव तैयार करवाये गये। छः पेन ड्राईव व मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा छः पेन ड्राईव में से एक पेन ड्राईव आरोपी दलाल श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति के लिये, एक पेन ड्राईव आरोपी श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक के लिये, एक पेन पेन ड्राईव आरोपी श्री संजय शुक्ला सभापति के लिये, एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु एक पेन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही हेतु कपडे की थेली में अलग-अलग रखकर पांच पेन ड्राईव को सील मोहर किया गया। तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर खुला रखा गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (Karbann Wipro 06-25 micro (10) SD HC 16 GB) में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डमोहर किया गया तथा फर्द बरामदगी के समय आरोपी दलाल श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति की हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि जब्ती के दौरान श्री शीशराम कानि0 126 द्वारा सरकारी मोबाईल के मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 16 GB 10A1 Micro HC 1) में वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को मय मेमोरी कार्ड लेपटाप में जोड़कर दो पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमें से एक माननीय न्यायालय के लिये कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया व एक अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात् खाना तलाशी के दौरान श्री शिवराज कानि0 166 द्वारा सरकारी

मोबाईल में लगे एक अलग मेमोरी कार्ड (Sandisk ultra 16 GB 10A1 Micro HC 1) में वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को मय मेमोरी कार्ड के लेपटाप में जोड़कर दो पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमें से एक माननीय न्यायालय के लिये कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया व एक टीएलओं हेतु खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेन ड्राईव क्लोनिंग एवं जब्ती मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार करवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 10.00 पीएम ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व एसीबी जाब्ता के जब्त शुदा रिश्वत राशि, धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादी व गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति, श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के जरिये सरकारी व प्राटवेट वाहनों से महिला थाना झालावाड़ से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिये रवाना हुई। समय 10.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण व साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुचे। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से बरामद शुदा रिश्वत राशि 30,000रूपये का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि श्री शिवराज कानि 166 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 21.07.2025 को समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा पुत्र श्री मांगी लाल वर्मा जाति कलाल उम्र 50 वर्ष निवासी मेवाड़ा सदन पंचमुखी बालाजी के पास झालावाड़ (राज0) द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "ग्राम मुण्डेरी में मेरी भूमि स्थित है, जिसका खसरा नं0 380 है को पर्यटन ईकाई भवन (मोटेल) में कन्वर्जन पट्टा की फाईल नगर परिषद झालावाड़ में गत् 4 वर्षो से पेण्डिग पड़ी है। जिसकी पॉवर ऑफ अटोर्नी मेरे नाम है, जिसकी 90क कार्यवाही सहित आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर व समस्त राशि जमा करवा रखी है। जिसपर पट्टा जारी करने के लिये सभापति श्री संजय शुक्ला के हस्ताक्षर होना शेष है। उक्त फाईल पर हस्ताक्षर के लिये में सभापति संजय शुक्ला से मिला तो उन्होने हस्ताक्षर करने के लिये 50,000/-रूपये की मांग रखी और नगर परिषद झालावाड़ में भूमि शाखा के बाबू श्री आकाश से मिलने के लिये कहा। जब मैं आकाश बाबू से नगर परिषद में जाकर मिला और मेरे पट्टे के सम्बन्ध में बात की और मैंने कहा कि मैं चेयरमैन साहब श्री संजय शुक्ला जी से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होने आपसे मिलने के लिये कहा है और वह पट्टे जारी करने के लिये 50,000/-रूपये कि बोल रहे हैं। इस पर आकाश ने कहा कि भाईसाहब आपको पट्टा जारी करवाने के लिये 50 हजार रूपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। मैंने आकाश से हाथाजोड़ी की कि भाईसाहब 50 हजार रूपये तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको इस मेटर में पूर्व में भी पैसे दे चुका हूँ। इसपर आकाश ने कहा कि इस मेटर में, मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आपको पैसे कम करवाने हैं तो आप जाकर वापस चेयरमैन साहब शुक्ला जी से ही मिल लो, जो करेंगे वही करेंगे, नहीं तो मुझे तो आपको 50 हजार रूपये ही देने पड़ेगे। क्योंकि मेरे पास चेयरमैन साहब का कॉल आ चुका है और उन्होंने 50 हजार रूपये लेने के लिये ही बोला है। इस प्रकार नगर परिषद झालावाड़ के चेयरमैन श्री संजय शुक्ला व बाबू श्री आकाश मेरे से मेरा पर्यटन ईकाई भवन (मोटेल) का पट्टा जारी करने की एवज् में मेरे से 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं उनको मेरे जायज काम के लिये इन दोनो को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। उक्त दोनो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी इनसे कोई रंजीश नहीं है ना ही कोई उधारी का लेनेदेन है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करें"। परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 एवं 61(2) बीएनएस की परिधि में आना पाया जाने पर उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र बताये गये हालात का सत्यापन होना पाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी सभापति श्री संजय शुक्ला द्वारा परिवादी की पट्टे की फाईल पर हस्ताक्षर करने के लिये एक कागज पर 40,000/-रूपये लिखकर परिवादी को बताया गया जिस पर परिवादी ने कहां मै इतने रूपये अफोर्ड नही कर सकता। मैं 30,000/-रूपये दे सकता हूं। इस पर सभापति द्वारा श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक भूमि शाखा से मिलकर रूपये देने के लिये कहा, इस पर परिवादी मधुसूदन वर्मा आरोपी श्री आकाश कलोसियां से मिला तो उसने कहां कि मैं श्री संजय शुक्ला सभापति के आदमी को ही रूपये उनसे पूछकर दिलवाउंगा। जिसके क्रम में दिनांक 04.08.2025 को आरोपी श्री आकाश कलोसियां द्वारा नगर परिषद झालावाड़ के दाहिनी साईड में बडा बाजार रोड पर स्थित मारवाड़ा टैन्ट हाउस पर दलाल आरोपी श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति को रिश्वत राशि दिलवाने के लिये भिजवाया। जिस पर परिवादी श्री मधुसूदन वर्मा द्वारा आरोपी दलाल श्री अजय कुमार को 30,000/-रूपये रिश्वत राशि सभापति की मांग अनुसार दिये। आरोपी दलाल श्री अजय कुमार द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 3 से श्री संजय शुक्ला सभापति के मोबाईल नम्बर व श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक से मोबाईल नम्बर , 1 पर वार्ता कर रिश्वत राशि प्राप्त की गई। परिवादी के रिश्वत राशि देने का ईशारा करने पर दलाल आरोपी श्री अजय कुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा रिश्वत राशि 30,000 /-रूपये गिनते हुये दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद की गई। आरोपी दलाल श्री अजय कुमार के दोनो हाथों को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिनको दो-दो अलग-अलग शीशीओ में भरकर मार्क क्रमश: आरएच-1, आरएच-2 व एलएच-1, एलएच-2 लिये जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे एसीबी लिये गये। परिवादी के

पेण्डिग कार्य से सम्बंधित पत्रावली की प्रमाणित शुदा फोटो प्रतियां नगर परिषद झालावाड़ से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपीगण श्री अजय कुमार दलाल प्राईवेट व्यक्ति एवं श्री आकाश कलोसियां कनिष्ठ सहायक को पृथक-पृथक नमूना आवाज नोटिस दिया जाकर पृथक-पृथक जर्ये फर्द गिरफ्तारी गिरफतार किया गया। आरोपी श्री संजय शुक्ला सभापति को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने पर फरार हो गया है। उपरोक्त कार्यवाही पर आरोपीगण श्री संजय शुक्ला पुत्र श्री दीनानन्द शुक्ला निवासी ऑल्ड ब्लॉक स्कूल के सामने झालावाड़ हाल सभापति नगर परिषद झालावाड़, श्री आकाश कलोसियां पुत्र श्री सुरेश कुमार कलोसियां जाति हरिजन उम्र 33 साल निवासी बस स्टेण्ड रोड, शिव मंदिर के सामने झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद झालावाड़ व दलाल श्री अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति माली उम्र 38 साल निवासी बडा बाजार झालावाड़ हाल मारवाड़ा टैन्ट हाउस संचालक बडा बाजार झालावाड़ के विरूद्ध उक्त कार्यवाही पर जुर्म अंर्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को सादर प्रेषित है। भवदीय(डॉ.प्रेरणाशेखावत)अतिरिक्तपुलिसअधीक्षकभ्रष्टाचारनिरोधकब्यूरो झालावाड़।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. प्रेरणा शेखावात, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस में आरोपीगण श्री आकाश कलोसियां पुत्र श्री सुरेश कुमार कलोसियां जाति हरिजन उम्र 33 साल निवासी बस स्टेण्ड रोड, शिव मन्दिर के सामने झालरापाटन जिला झालावाड हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद झालावाड, श्री अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति माली उम्र 38 साल निवासी बडा बाजार झालावाड जिला झालावाड हाल मारवाडा टैन्ट हाउस संचालक बडा बाजार झालावाड प्राईवेट व्यक्ति, श्री संजय शुक्ला पुत्र श्री दीनानन्द शुक्ला निवासी ऑल्ड ब्लॉक स्कूल के सामने झालवाड हाल सभापति नगर परिषद झालवाड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कालूराम वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 96 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1128-32 दिनांक 06.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर 3. आयुक्त, नगरपरिषद झालावाड, 4. उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KALU RAM VERMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]/2025 [illegible]

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				
2	Male	1987				
3	Male	01/12/1965				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)